प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रोरासिविवि/सम्बद्धता/2026– 2840 दिनांक 27/04/2026

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 27.04.2026 के अनुपालन में **एस0बी0एस0 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, छतनाग उपरहार, झूंसी, प्रयागराज, उ0प्र0** को **स्नातक स्तर पर बी0काम0, बी0सी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2026–27 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता** प्रदान की जाती है:–

1– संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

2– संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।

3– संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4– संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5– महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र, वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।

6– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– 522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7– संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।

8– संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

9– संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

10– शासनादेश संख्या–292/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक 13.05.2020 एवं पत्र संख्या–266/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक: 23.04.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– प्रो0रा0सि0वि0वि0/कु0स0का0/2021–460 दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है।

प्रो0 (विनीता यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– माननीय कुलपति महोदय।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– **प्रबन्धक, एस0बी0एस0 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, छतनाग उपरहार, झूंसी, प्रयागराज, उ0प्र0।**
4– परीक्षा नियंत्रक, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
5– सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6– प्रभारी एजेंसी को कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।
7– सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव